



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1945 (श10)
(सं0 पटना 608) पटना, बुधवार, 26 जुलाई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2023

अधिसूचना संख्या 06/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 225, दिनांक 26 जुलाई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) तालिका में,

- (i) क्रम संख्या 3 के सामने, आइटम (ie) में, कॉलम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात्: -

"व्याख्या -यह आइटम तालिका के क्रम संख्या 3 के विरुद्ध आइटम (iv), (v) और (vi) के उन उप-आइटम को संदर्भित करता है जो अधिसूचना संख्या 03/2022-राज्य कर (दर) दिनांक 15.07.2022 के माध्यम से निरस्त होने से पहले अधिसूचना में मौजूद थे।";

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, कॉलम (5) के अंतर्गत प्रविष्टियों में, शर्त (2) में, -

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों " उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक", के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) चौथे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात्: -
"बशर्ते यह भी कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मकैनैज्म के तहत वापसी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।";

(iii) क्रम संख्या 24 के सामने, मद (i) में, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) में उप-खंड (ज) को हटा दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक V में,

(i) पैरा 2 में, शब्दों "वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है" के स्थान पर, शब्द और आंकड़े "वित्तीय वर्ष की शुरुआत जिसके लिए मैं नियत तारीख से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूँ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट के नोट में, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है " के स्थान पर, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा, अर्थात्: -

"अनुलग्नक VI

प्रपत्र

किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र ।

संदर्भ संख्या -

तारीख: -

1. मैं/हम _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स..... का अधिकृत प्रतिनिधि वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अनुलग्नक V (दिनांक _____) को भरकर, हमारे द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज मकैनैज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था । ;

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वित्तीय वर्ष के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र पर वापस लौटना चाहता हूँ...;
3. मैं समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद इसे एक वर्ष के भीतर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है।

कानूनी नाम: -

जीएसटी आईएन:-

पैन नंबर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13) 06)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 जुलाई 2023

एस० ओ० 225, दिनांक 26 जुलाई, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13) 06)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 26th July 2023

Notification No. 06/2023- State Tax (Rate)

S.O. 225, Date 26th July 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department Notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

- (i) against serial number 3, in column (3) in item (ie), following explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.* -This item refers to sub-items of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission vide notification No. 03/2022-State Tax (Rate) dated 15.07.2022.”;

- (ii) against serial number 9, in column (3), in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), -
- (a) for the words, figures and letters “on or before the 15th March of the preceding Financial Year”, the words, figures and letters “on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”, shall be substituted;
- (b) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 “Provided also that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.”;
- (iii) against serial number 24, in column (3), in item (i), in the *Explanation*, in clause(i), sub-clause(h) shall be omitted.
- (B) in Annexure V,
- (i) in para 2, for the words “end of the financial year for which it is exercised”, the words and figures “the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date”, shall be substituted;
- (ii) in note to the Annexure, for the words, figures and letters “ The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year”, the words, figures and letters “ The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted; (C) after Annexure V, the following annexure shall be inserted, namely:-

“Annexure VI

FORM

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We _____ (name of Person), authorized representative of M/s..... had exercised option to pay GST on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during, the financial year.....under forward charge by filing Annexure V on;
2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year.....;
3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorized representative:

Name Authorized Signatory :

Full Address of GTA:

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-13)06)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 608-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>